न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 519 सन 2018

अनवान :–

1. हरबन्सलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद
2. सरबती पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
श्री रविन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा सुरजाराम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति खातेदार काश्तकार था सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि अपने तीन पुत्रो/लडकों हरबन्सलाल, लादुराम , बलवीरसिह के पक्ष में अपनी इच्छा से वसीयत कर दी थी जो सुरजाराम की मृत्यू के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बलवीरसिह के नाम बहिब दर्ज हुई।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के भाई बलवीरसिह कुंवारा ही फोत होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की दफा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी मां सरबती देवी पत्नी सुरजाराम पर और हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब प्रत्येक 1/9 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए।

उक्त मुश्तकरा खातेदारी भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक में से 1/3 हिस्सा रोही मोजा बडबिराना में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सरबती देवी पत्नी सुरजाराम ने दिनांक 27.7.2016 को जरिये दस्तबरदारी अपने सयुक्त खाता में सहखातेदारों के पक्ष में परित्याग कर दी जबबि दस्बवरदारी में लादुराम पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज है उक्त दस्तबरदारी के दिनांक 29.07.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को वादग्रस्त भूमि में कोई टिनेन्ट प्राप्त नही होते है वाद भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा रोही मौजा बडबिराना में वादी अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गये है।

रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जबकि दस्तबरदारी के प्रावधान अनुसार वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा से ज्यादा भूमि का टिनेन्ट है मगर हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक में वादी को 1/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 2/9 के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की प्रतिवादीया संख्या 2 सरबतीदेवी पत्नी सुरजाराम द्वारा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है व मौका पर कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वाद भूमि दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है जो अभी भी प्रभाव में है वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधिवक्ता उपस्थित किन्तु किसी प्रकार का जबाब पेश नही किया गया जो शामिल मिसल किया गया

वादी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई

1. आया वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल तादादी 12.4690हैक भूमि वाके रोही मौजा बडबिराना बारानी तहसील नोहर में वादी अकेला 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नही है।? वादी
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादग्रस्त भूमि से वादी को उसके हक व हिस्सा से बेदख लना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।? वादी
3. आया जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल तादादी 12.4690हैक रोही मौजा बडबिराना बारानी तहसील नोहर में वादी के 1/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 2/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।? वादी
4. आया वादी विवादित भूमि में किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी मेन्टेन्एबल नही होने के कारण खारिज योग्य है इसका वाद पर क्या असर है।? प्रतिवादी
5. आया वाद वादी राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार का नही है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण खारिज योग्य हे।? प्रतिवादी
6. आया उतरदाता प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि जरिये दस्तवरदारी दिनांक 27.07.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है जब तक दस्तवरदारी प्रभाव में है वादी इस न्यायालय से किसी भी प्रकार की धोषणा करने का अधिकारी नही है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादी
7. आया कि वादी के पक्ष में विवादित भूमि की कब्जा नही है कब्जा के अभाव में इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों ने साक्ष्य करवाये गये साक्ष्य वादी में वादी ने मुख्य परिक्षा का शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी की गई इसीप्रकार साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया जिर पर जिरह वादी की गई उभयपक्षों के द्वारा और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा सुरजाराम वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पिता व प्रतिवादी संख्या 2 का पति खातेदार काश्तकार था सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि अपने तीन पुत्रो/लडकों हरबन्सलाल, लादुराम , बलवीरसिह के पक्ष में अपनी इच्छा से वसीयत कर दी थी जो सुरजाराम की मृत्यू के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बलवीरसिह के नाम बहिब दर्ज हुई।

वांदी व प्रतिवादी संख्या 1 के भाई बलवीरसिह कुंवारा ही फोत होने के कारण हिन्दु उताराधिकार अधिनियम की दफा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी मां सरबती देवी पत्नी सुरजाराम पर और हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों बहिब प्रत्येक 1/9 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए।

उक्त मुश्तकरा खातेदारी भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक्ट में से 1/3 हिस्सा रोही मोजा बडबिराना में से 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 सरबती देवी पत्नी सुरजाराम ने दिनांक 27.7.2016 को जरिये दस्तबरदारी अपने सयुक्त खाता में सहखातेदारों के पक्ष में परित्याग कर दी जबबि दस्बवरदारी में लादुराम पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज है उक्त दस्तबरदारी के दिनांक 29.07.2016 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेले को वादग्रस्त भूमि में कोई टिनेन्ट प्राप्त नही होते है वाद भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा रोही मौजा बडबिराना में वादी अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हो गये है।

रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज है जबकि दस्तबरदारी के प्रावधान अनुसार वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा से ज्यादा भूमि का टिनेन्ट है मगर हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हक से ज्यादा भूमि दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल 12.4690हैक्ट में वादी को 1/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 2/9 के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादीया संख्या 2 सरबतीदेवी पत्नी सुरजाराम द्वारा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग किया गया है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है व मौका पर कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वाद भूमि दस्तबरदारी [illegible] हुई है जो अभी भी प्रभाव में है वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की घोषणा [illegible] नही है अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज [illegible] जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तनकी न0 – 1 आया वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल तादादी 12.4690हैक्ट भूमि वाके रोही मौजा बडबिराना बारानी तहसील नोहर में वादी अकेला 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नही है।?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने अपनी तनकी के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 रोही मौजा बडबिराना, प्रमाणित प्रति दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 2257, जमाबन्दी सम्वत 2073–76 रोही मौजा बडबिराना , आधार कार्ड की प्रति पेश की गई है।

वादी का कथन है कि रोही मौजा बड़बिराना के खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की 12.4690हैक्ट भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिसकी वसीयत के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व बलवीरसिह के नाम बहिब भूमि दर्ज हुई बलवीर सिह लावल्द कुवारा फोत होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की घारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 होने के कारण बलवीरसिह के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने सरबती पत्नी सुरजाराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दिनांक 27.07.2016 को जरिये दस्तबरदारी हकत्याग प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज हुई है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दस्तबरदारी करने पर उसके हक हिस्सा की भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो के नाम बहिब दर्ज होने चाहिये थी क्यो कि दस्तबरदारी से सभी सह हिस्सेदारों में बराबर भूमि विभाजित होती है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि हक से ज्यादा दर्ज है ज़िसे बराबर दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी द्वारा व्यक्त तथ्य आंशिक स्वीकार योग्य है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 पति सुरजाराम के नाम दर्ज थी सुरजाराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि सुरजाराम के तीनों पुत्रों वादी , प्रतिवादी संख्या 1 एवं बलवीर के नाम बतौर ख़ातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी बलवीर पुत्र सुरजाराम कुवांरा फोत हो जाने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस प्रतिवादी संख्या 2 उसकी माता होने के कारण बलवीर सिह की भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 2 सरबती के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई

प्रतिवादी संख्या 2 सरबती ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 27.07.2016 को दस्तबरदारी के जरिये अपना हक त्याग किया गया जिसके आधार पर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 2 सरबती के द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016 के द्वारा जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है में वादी बराबर का हक चाहता है जो स्वीकार योग्य नही है।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सैक्सन 14 में वर्णित तथ्यों के आधार पर हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यंतिकत अपनी सम्पती होगी :– हिन्दु नारी के कब्जे कि कोई सम्पति , चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो , उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न की परिसिमित स्वामी के तौर पर घारित की जावेगी ।

उक्त अधिनियम के ताबें सरबती अपनी स्वैच्छा से अपने धारण की भूमि को किसी भी पक्षकार/काश्तकार को देने में सक्षम थी जिसे सरबती भूमि देगी उसी को भूमि प्राप्त होगी अर्थात सरबती के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] की गई दस्तबरदारी में वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही

अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सैक्सन 14 में वर्णित प्रावधानों के ताबे तनकी न0 1 साबित नही होने के कारण तनकी न0 1 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

<u>तनकी न0 2:– आया प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादग्रस्त भूमि से वादी को उसके हक व हिस्सा से बेदख लना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।?</u>

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था।

तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है सरबती प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये हकत्याग से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त कृषि भूमि में वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार को बिना किसी ठोक आधार के पाबन्द या किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है अतः तनकी न0 2 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 3 :– आया जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 310/284 के खसरा न0 440 की कुल तादादी 12.4690हैक रोही मौजा बडबिराना बारानी तहसील नोहर में वादी के 1/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 2/9 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।</u>

प्रतिवादी संख्या 2 सरबती ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016 द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में त्याग किया गया है में वादी बराबर का हक हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है जो स्वीकार योग्य नही है प्रतिवादी संख्या 2 सरबती को उसके पुत्र बलवीर के देहान्त होने पर प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण प्राप्त हुई थी जिसकी प्रतिवादी संख्या 2 सरबती अकेली हकदार है वह अपनी स्वैच्छा से किसी को भी दे सकने के लिये स्वतन्त है प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी इच्छा से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया गया है जिसमें वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है अतः तनकी न0 3 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 4 :– आया वादी विवादित भूमि में किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है वाद वादी मेन्टेन्एबल नही होने के कारण खारिज योग्य है इसका वाद पर क्या असर है।?</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं दस्तबरदारी , जमाबन्दी से स्पष्ट है कि वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत एवं प्रतिवादी संख्या 2 की दस्तबरदारी से भूमि प्राप्त हुई है जिसमें वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है ना ही किसी प्रकार टिनेन्ट है अतः तनकी न0 4

<u>तनकी न0 5 :– आया वाद वादी राजस्व अदालत के क्षेत्राधिकार का नही है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण खारिज योग्य है</u>

तनकी न0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था प्रतिवादी का कथन है वादी ने दस्तबरदारी निरस्त करवाने का वाद पेश किया गया जो स्वीकार योग्य नही है वादी ने दस्तवरदारी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि में अपने हकों की धोषणा का वाद पेश किया गया है न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है अतः तनकी न0 5 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 6 आया उतरदाता प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि जरिये दस्तवरदारी दिनांक 27.07.2016 के द्वारा प्राप्त हुई है जब तक दस्तवरदारी प्रभाव में है वादी इस न्यायालय से किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है इसका वाद पर क्या असर है ।?</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी [illegible] पर था
प्रतिवादी संख्या 2 सरबती जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व बलवीर सिह की माता है बलवीरसिह के कुवारा फोत हो जाने पर बलवीरसिह के हक हिस्सा की भूमि प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 27.07.2016 अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

त्याग की गई थी जिसके आधार पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है जो प्रतिवादी संख्या 2 की पैतृक सम्पति है जब तक दस्तवरदारी प्रभावी है इसलिये वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी न0 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 2 को उसके पुत्र बलवीरसिह के कुवारा लावल्द फोत हो जाने के पर प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण बलवीरसिह के हक हिस्सा की भूमि प्राप्त हुई थी ।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के सैक्सन 14 में वर्णित तथ्यों के आधार पर हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यंतिकत अपनी सम्पती होगी :– हिन्दु नारी के कब्जे कि कोई सम्पति , चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो , उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न की परिसिमित स्वामी के तौर पर घारित की जावेगी

प्रतिवादी संख्या 2 सरबती ने अपने नाम दर्ज भूमि को जरिये हक त्याग अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है सरबती अपने हक हिस्सा की भूमि किसी भी प्रकार से किसी को भी देने के लिये स्तन्त्र थी जिसमें वादी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादी का वाद साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरबन्सलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद
2. सरबती पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा हाल निवासी सिरढान तहसील व जिला फतेहबाद।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 519 सन 2018 निर्णय दिनांक– 20/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री विजय कडवासरा एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:53 IST
Reason: SelfAttested